न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–4/2024 दायर दिनांकः 15.03.2024
GCMS NO:- 2024/44 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

राजीबाई पत्नी श्री रमेश मीना जाति मीना नि0 गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया–

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 मे खाता संख्या 74 के अनुसार खसरा संख्या 329 रकबा 1.0355 हैक्टयर, खसरा संख्या 335 रकबा 0.2023 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2378 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीया का संयुक्त हिस्सा 1/12 निहित है। इसी प्रकार ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 मे खाता संख्या 75 के अनुसार खसरा संख्या 383 रकबा 0.9061 हैक्टयर, खसरा संख्या 384 रकबा 0.7928 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6989 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीया का संयुक्त हिस्सा 1/24 निहित है। इसी प्रकार ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 मे खाता संख्या 266 के अनुसार खसरा संख्या 334 रकबा 0.1214 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीया का संयुक्त हिस्सा 1/12 निहित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया ने तत्कालीन खातेदार सयानी पुत्री नन्दा जाति मीणा नि0 गुढासदावर्तिया हाल पत्नी श्री रामनिवास नि0 गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 16.1.2024 को खरीद की थी जिसका विकय पत्र उप पंजीयक कार्यालय नैनवॉ मे दिनांक 16.01.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 212 मे पृष्ठ संख्या 99 कम संख्या 202403269100045 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 706 के पृष्ठ संख्या 621 से 633 पर चस्पा किया गया। उक्त विकय पत्र दिनांक 16.01.2024 का नामान्तकरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया के नाम नामान्तरकरण संख्या 931 दिनांक 16.01.2024 से दर्ज किया गया है जिसमे प्रार्थीया का नाम लिपिकीय त्रुटी से राजीबाई पत्नी रमेश मीना जाति मीना निवासी गुढासदावर्तिया के स्थान पर राजीबाई दोहित्री रमेश मीना जाति मीना निवासी गुढासदावर्तिया दर्ज हो गया है जो लिपिकीय त्रुटी से हुआ है जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे सुधार किया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है अतः प्रार्थनां पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे दर्ज खाते मे प्रार्थीया का गलत दर्ज नाम राजीबाई दोहित्री रमेश मीना जाति मीना निवासी गुढासदावर्तिया के स्थान पर सही नाम राजीबाई पत्नी रमेश मीना जाति मीना निवासी गुढासदावर्तिया शुद्व करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 प्राप्त हो चुकी है जिसमे वताया गया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तीनों खातों की भूमि वर्तमान मे राजीबाई दोहित्री रमेश के नाम दर्ज है जवगकि वास्तविकता मे राजीबाई रमेश की पत्नी है। राजीबाई ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार सयानी पुत्री नन्दा से कय की थी। यह कय पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से किया गया था जो उप पंजीयक कार्यालय नैनवॉ मे दिनांक 16.01.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 212 पृष्ठ संख्या 99 कम संख्या 202403269100045 पर विधिवत रूप से पंजीबद्व है। उक्त विकय पत्र मे खरीददार के रूप मे राजीबाई पत्नी रमेश दर्ज है परन्तु विकय के पश्चात स्वतः म्यूटेशन की प्रविष्टि के दौरान लिपिकीय त्रुटी के कारण म्यूटेशन संख्या 931 के द्वारा राजीबाई दौहित्री रमेश दर्ज हो गया जो कि त्रुटीपूर्ण है जिससे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे राजीबाई दौहित्री रमेश के स्थान पर राजीबाई पत्नी रमेश शुद्व किया जाना उचित होने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के विद्वान वकील की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित

भूमि खाता संख्या 74, 75 व 266 मे दर्ज प्रार्थीया का नाम राजीबाई दौहित्री रमेश के स्थान पर राजीबाई पत्नी रमेश शुद्व किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का नाम शुद्व करवाने की कृपा करें।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

प्रार्थीया के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि उप पंजीयक कार्यालय नैनवॉ मे दिनांक 16.01.2024 को हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो कि पूर्व खातेदार सयानी पुत्री नन्दा द्वारा प्रार्थीया राजीबाई के पक्ष मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 212 पृष्ठ संख्या 99 कम संख्या 202403269100045 से किया गया था, का स्वतः म्यूटेशन प्रकिया के तहत् संहवन से राजीबाई पत्नी रमेश के स्थान पर राजीबाई दौहित्री रमेश दर्ज हो गया था तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 मे भी प्रार्थीया का गलत दर्ज नाम राजीबाई दौहित्री रमेश को शुद्व कर वास्तविक नाम राजीबाई पत्नी रमेश शुद्व दर्ज करने की अभिशंषा की है अतः पत्रावली में उपरोक्त सभी तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ मे स्थित खाता संख्या 74, 75 व 266 मे दर्ज प्रार्थीया का नाम "राजीबाई दौहित्री रमेश" के स्थान पर "राजीबाई पत्नी रमेश" शुद्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 29.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा